न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 57 / 2022

अनवान :

1. वेदप्रकाश पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी बीराण त0 भादरा।

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
2. विधादेवी पत्नी स्व0 वेदप्रकाश जाति जाट निवासी बीराण त0 भादरा।
3. विनोद पुत्र स्व0 वेदप्रकाश जाति जाट निवासी बीराण त0 भादरा।
4. सन्दीप कुमार पुत्र स्व0 वेदप्रकाश जाति जाट निवासी बीराण त0 भादरा।
5. संजुबाला पुत्री स्व0 वेदप्रकाश जाति जाट निवासी बीराण त0 भादरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :—श्री मुंशीराम गोस्वामी **प्रार्थी**
राजपैरोकार

निर्णय दिनांकः 15/6/23

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 2 एएमएस के खाता सं0 137 / 123 के मु0न0 37 के किला न0 19 / 1 की 0.202है0 किला न0 22 / 1 की 0.051है0 किला न0 23 ता 25 प्रत्येक 0.253है0 इस प्रकार कुल 1.012है0 भूमि प्रार्थी की खातेदारी है। उक्त वाद भूमि के चिपते ही खाता सं0 138 / 124 की भूमि स्थित है जो भी वेदप्रकाश पुत्र रणजीतसिंह के नाम ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वेदप्रकाश पुत्र रणजीतसिंह का देहान्त होने पर खाता सं0 138 / 124 की भूमि वेदप्रकाश के वारिसान को विरासतन प्राप्त हुई लेकिन खाता सं0 138 / 124 के खातेदार का नाम व वल्दीयत तथा साकिन आपस में मेल खाने पर संवहन से नामान्तरण करते समय प्रार्थी की खातेदारी खाता सं0 127 / 123 की 1.012है0 में अप्रार्थीगण सं0 2 ता 5 का नाम दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी वेदप्रकाश जीवित है । इस प्रकार अप्रार्थीगण सं0 2 ता 5 अन्य वेदप्रकाश के वारिस है। इसलिए प्रार्थी की खातेदारी में संवहन से हुए नामान्तरण को प्रार्थी दुरूस्त करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

अधिकारी (राजस्व)
(जिला-हनुमानगढ़)

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थीगण 2 ता 5 ने प्रार्थना पत्र पर सहमती प्रस्तुत की ।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि रोही मौजा चक 2 एएमएस के खाता सं0 137 / 123 के मु0न0 37 के किला न0 19 / 1 की 0.202है0 किला न0 22 / 1 की 0.051है0 किला न0 23 ता 25 प्रत्येक 0.253है0 इस प्रकार कुल 1.012है0 भूमि प्रार्थी की खातेदारी है। उक्त वाद भूमि के चिपते ही खाता सं0 138 / 124 की भूमि

स्थित है जो भी वेदप्रकाश पुत्र रणजीतसिंह के नाम ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वेदप्रकाश पुत्र रणजीतसिंह का देहान्त होने पर खाता सं0 138 / 124 की भूमि वेदप्रकाश के वारिसान को विरासतन प्राप्त हुई लेकिन खाता सं0 138 / 124 के खातेदार का नाम व वल्दीयत तथा साकिन प्रार्थी से मेल खाने पर संवहन से नामान्तरण करते समय प्रार्थी की खातेदारी खाता सं0 127 / 123 की 1.012है0 में अप्रार्थीगण सं0 2 ता 5 का नाम दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी वेदप्रकाश जीवित है । इस प्रकार अप्रार्थीगण सं0 2 ता 5 अन्य वेदप्रकाश के वारिस है। इस प्रकार उक्त खाता सं0 127 / 123 की 1.012है0 से अप्रार्थीगण सं0 2 ता 5 का नाम हटाया जाकर पुनः प्रार्थी का नाम दर्ज किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण सं0 2 ता 5 ने स्वीकार किया कि उनके पिता का नाम , वल्दीयत तथा साकिन प्रार्थी से मेल खाने पर संवहन से खाता सं0 127 / 123 में उनका नाम संवहन से दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर प्रार्थी का नाम उक्त विवादित भूमि में दर्ज कर दिया जावे। अतः प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक 2 एएमएस के खाता सं0 137 / 123 के मु0न0 37 के किला न0 19 / 1 की 0.202है0 किला न0 22 / 1 की 0.051है0 किला न0 23 ता 25 प्रत्येक 0.253है0 इस प्रकार कुल 1.012है0 में अप्रार्थीगण सं0 2 ता 5 का नाम हटाया जाकर उनके स्थान पर प्रार्थी वेदप्रकाश पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी बीराण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर **राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।**

निर्णय आज दिनांक 15/6/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़